



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (क)  
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मार्च, 2021

फाल्गुन 14, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
आबकारी अनुभाग-2

संख्या 229 ई-2/तेरह-2021-42-2013

लखनऊ, 5 मार्च, 2021

अधिसूचना

### सा०प०नि०-14

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 30 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 1628 ई-2/तेरह-42-2013, दिनांक 4 अगस्त, 2020 का अधिक्रमण करके, राज्यपाल निदेश देती हैं कि दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से, बीयर पर राज्य सरकार नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर प्रतिफल शुल्क के रूप में धनराशि का भुगतान प्राप्त करेगी।

अनुसूची

माइल्ड एवं स्ट्रांग बीयर की एम०आर०पी० निर्धारण सूत्र (माइल्ड-5 प्रतिशत वी०/वी० अल्कोहल की तीव्रता) एवं (स्ट्रांग-5 प्रतिशत वी०/वी० तीव्रता से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत वी०/वी० अल्कोहल की तीव्रता तक)				
यवासवक द्वारा एक्स ब्रिवरी प्राइस (ई०बी०पी०) को घोषित करने हेतु निर्धारित एक्स यवासवनी/ बाण्डधारक इकाई/एक्स सी.एस.डी. मूल्य प्रति कैन (500 मि०ली०) (रु० में) (ई०बी०पी०)	प्रतिफल फीस प्रति कैन (500 मि०ली०) (रु० में) (डी)	थोक विक्रेता का मार्जिन प्रति कैन (500 मि०ली०)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन प्रति कैन (500 मि०ली०)	अधिकतम फुटकर मूल्य प्रति कैन (500 मि०ली०) (रु०में) जिसे रु० 10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में लिया जायेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शून्य से 30 तक	30.50+ई०बी०पी० का 90 प्रतिशत	1.25+ ई०बी०पी० का 1.8 प्रतिशत	12.25+ ई०बी०पी० का 10 प्रतिशत	स्तम्भ1+2+3+4 का योग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30 से अधिक 35 तक	30.50+ई0बी0पी0 का 100 प्रतिशत	1.5+ई0बी0पी0 का 02 प्रतिशत	15+ई0बी0पी0 का 10 प्रतिशत	स्तम्भ 1+2+3+4 का योग
35 से अधिक	35+ई0बी0पी0 का 100 प्रतिशत	1.5+ई0बी0पी0 का 02 प्रतिशत	15+ ई0बी0पी0 का 10 प्रतिशत	स्तम्भ 1+2+3+4 का योग

आज्ञा से,  
संजय आर0 भूसरेड्डी,  
अपर मुख्य सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 229 E-2/XIII-2021-42-2013, dated March 5, 2021 for general information:

No. 229 E-2/XIII-2021-42-2013

*Dated Lucknow, March 5, 2021*

IN exercise of the powers under section 30 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), and in supersession of Government notification no. 1628 E-2/XIII-42-2013, dated August 4, 2020, the Governor is pleased to direct that with effect from April 1, 2021 the State Government shall accept payment of sum as consideration fee on beer at the rate specified in the Schedule below.

**SCHEDULE**

Formula for determination of M.R.P. of mild and strong beer (Mild- strength up to 5% v/v alcohol) / (Strong-Strength more than 5% v/v but up to strength 8 % v/v of alcohol)				
For declaration of Ex-Brewery Price (E.B.P.) by the brewer at the fixed Ex-Brewery/ Bonded Unit/ Ex-CSD Price Per Can (500 m.l.) (in Rs.) (E.B.P)	Consideration fee per Can (500 m.l.) (in Rs.) (D)	Margin of Wholesaler per Can (500 m.l.)	Margin of Retailer per Can (500 m.l.)	M.R.P. in Rs. per Can (500 m.l.) the amount of difference will be taken as an additional consideration fee by the rounding off it to the next coefficient of Rs. 10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
From 0 to 30	30.50+90% of E.B.P.	1.25+1.8 % of E.B.P.	12.25+ 10% of E.B.P.	Sum of Column 1+2+3+4
More than 30 to 35	30.50+100% of E.B.P.	1.5+02% of E.B.P.	15+10 % of E.B.P.	Sum of Column 1+2+3+4
More than 35	35+100% of E.B.P.	1.5+02% of E.B.P.	15+10 % of E.B.P.	Sum of Column 1+2+3+4

By order,  
SANJAY R. BHOOSREDDY,  
*Apar Mukhya Sachiv.*

पी0एस0यू0पी-ए0पी0 772 राजपत्र-2021-(1638)-599+25=624 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।